संख्या-2024/ 001-3707422023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खेल,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-07/02/2024

विषय:- जनपद चन्दौली में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1309//नि0 चन्दौली स्टे0 पत्रा0/2022-23, दिनांक 09.02.2023 एवं जी-1058/नि0 चन्दौली स्टे0 पत्रा0/2023-24, दिनांक 04.12.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चन्दौली में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 2498.86 लाख का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 2306.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष- 2023-24 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-60-जनपद चन्दौली में स्टेडियम एवं भूमि क्रय के लिये कार्य-24 वृहत् निर्माण कार्य " मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 5,00,00,000/-(रुपये पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,00,00,000/-(रुपये पांच करोड़ मात्र)निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 एवं दिनांक 19.09.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त कार्यों की ड्राइंग को आवश्यवकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2020 की जनपदीय अनुसूची दर एवं डी0एस0आर0 वर्ष 2021 के आधार पर किया गया है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(6) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तावित लागत रू0 10.00 लाख को अनुमन्य किया गया है। वाह्य विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से प्राप्त विस्तृत आगणन के आधार पर एवं सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत उक्त कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत 4032.52 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 13.28 लाख की लागत प्रस्तावित किया गया है। कार्यस्थल में मिट्टी भराई से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की मिट्टी भराई सम्बन्धित रिपोर्ट एवं मिट्टी भराई से सम्बन्धित कार्य स्थल की थ्री डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभाग द्वारा एकमुश्त धनराशि रू0 5.00 लाख अनुमन्य किया गया है।

(8) प्रायोजना के अन्तर्गत फर्नीचर (रू04.45 लाख), क्रिकेट पोर्टबल प्रैक्टिसनेट (रू08.40 लाख) फुटबाल गोल पोस्ट (रू0 0.80 लाख) वालीबाल पोस्ट एवं नेट (रू03.00 लाख) इक्यूपमेन्ट) (रू0 21.79 लाख) प्रस्तावित किया गया है, जिसे प्रभाग द्वारा आंकलित लागत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(9) प्रायोजनान्तर्गत विजन ग्लास, रेन ड्राप फ्लोरिंग, स्ट्रगक्चरल ग्लेजिंग, बी0डी0एफ0 फ्लोरिंग, गेनाइट फ्लोरिंग, पी0बी0सी0 फ्लोरिंग नेचुरल टर्फ, ग्लेवैनाइज्ड् आयरन प्रोफाईल शीट, सेन्थिटिक एथलेटिक्स ट्रैक, पॉली कार्बोनेट पैनल, स्प्रिंकलर हाईडेन्टफ एरीगेशन सिस्ट्म आदि कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य विशिष्टियों से भिन्न उच्च श्रेणी के कार्य है। अत: इसके सम्बन्ध में प्रायोजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा के क्रम में उक्त कार्यमद पर लोक निर्माण अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या- 177 /2023/184ई /23-11-2023-773ई /2023 दि0 08 जून, 2023 के अनुसार कार्यवाही कर ली गयी है।

(10) निदेशक, खेल द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व खेल विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जायेगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्य का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(11) प्रायोजना के अन्तर्गत एम0एस0 बेन्चर फाउण्डेशन सहित, साइनेज, परफोरेटेड मेटल शीट, एस0एस0प्लेट, नेचुरल टर्फ, रेन ड्राप फ्लोरिंग, पॉली कार्बोनेट पैनल, पी0बी0सी0 फ्लोरिंग,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्प्रिंकलर हाईडेन्टप एरीगेशन सिस्टम, सेन्थिटिक एथलेटिक ट्रैक आदि की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निदेशक, खेल /कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / निदेशक, खेल का होगा।

(13) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेतखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(14)प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(16) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(17) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत/व्यय की जायेगी।

(19) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(20) निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(22) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(23) स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(24) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(26) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 4202038006000 जनपद चन्दौली में स्टेडियम एवं भूमि क्रय के लिये कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-189-X-2023-24-दिनांक:31-1-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार-।।

विशेष सचिव।

संख्या-2024/ 001-3707422023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, चन्दौली।

5- क्रीड़ाधिकारी, चन्दौली।

6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

हृदय नारायण सिंह यादव

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।